FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रामदीन		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–124/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी रामदीन पुत्र रमजीराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1142 रकबा 1.0355 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 3.4059 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.2388 हैक्टैयर की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि को वादी के पिता रमजीराम जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा की थी। वादी के पिता का जमाबंदी में मडीयाराम गलत नाम अंकित कर दिया तत्पश्चात वादी के पिता रमजीराम उर्फ मडियाराम का फौतेदगी नामांतकरण संख्या 1682 स्वीकृत किया गया उस नामान्तकरण में वादी के पिता का नाम रमजीराम के बजाय मडियाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रमजीराम है तथा प्रार्थी के सरकारी दस्तावेज भी रामदीन पुत्र रमजीराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में रामदीन पुत्र मडीयाराम के स्थान पर रामदीन पुत्र रमजीराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रामदीन ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी न[illegible] साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी रामदीन का आधारकार्ड, पहच[illegible] पत्र, [illegible]कार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, जमाबंदी संवत 2074 से 2077 आदि [illegible] किया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम प[illegible] हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 को पेश किया है। वादी ने अपना गवाह धासीराम पुत्र अम्बाराम जाति मेघवाल के ब[illegible] कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:27 IST
Reason: SelfAttested

	जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरे पिता का उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मडियाराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी के पिता का नाम रमजीराम के बजाय मडियाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1142 रकबा 1.0355 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 3.4059 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.2388 हैक्टैयर की खातेदारी भूमि में रामदीन पुत्र मडियाराम के स्थान पर रामदीन पुत्र रमजीराम की संयक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम**
प्रतिवादी

रामदीन पुत्र रमजीराम
जाति मेघवाल निवासी हरियाढाणा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:27 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज[illegible]न्सी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 124/2021

निर्णय

दिनांक :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1142 रकबा 1.0355 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 1.6423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 3.1551 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 3.4059 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 9.2388 हैक्टैयर की खातेदारी भूमि में रामदीन पुत्र मडियाराम के स्थान पर रामदीन पुत्र रमजीराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:59:27 IST
Reason: SelfAttested